भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1907

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन

1907. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री लुम्बाराम चौधरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड, छत्तीसगढ़, सिरोही और जालोर जिलों सहित राजस्थान और बिहार में अब तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए कुल घरों की संख्या कितनी है और अभी तक कवर नहीं हुए घरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि कई जिलों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन विछाने, पंप हाउस निर्माण और जल आपूर्ति परीक्षण संबंधित कार्य कई महीनों से रुके हुए हैं और यदि हाँ, तो इन कार्यों को रोकने के जिम्मेदार कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेजेएम के तहत रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ किस स्तर पर कोई बैठक या समीक्षा चर्चा की है; और

(घ) जेजेएम के तहत आवंटित और उपयोग किए गए कोष की तुलना, वित्तीय प्रगति और समय-सीमा से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) जेजेएम आईएमआईएस पोर्टल के अनुसार, 08.12.2025 तक, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिरोही और जालौर जिलों सहित राजस्थान और बिहार में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए परिवारों की कुल संख्या निम्नानुसार है: -

राज्य/जिला	नल जल कनेक्शन से कवर किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या (लाखों में)	जिन ग्रामीण परिवारों को अभी तक नल जल कनेक्शन नहीं दिए गए उनकी संख्या (लाखों में)
झारखंड	34.44	28.09
छत्तीसगढ़	40.81	9.16
राजस्थान	62.03	45.71
सिरोही, राजस्थान	1.08	0.78
जालौर, राजस्थान	2.28	1.57
बिहार	160.36	7.19

(ख) से (घ) जल राज्य का विषय है, इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, मंजूरी देने, कार्य-निष्पादन/कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। हालांकि, जल संकटग्रस्त, सूखाग्रस्त, असमान भौगोलिक क्षेत्रों, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटों में विश्वसनीय पेयजल स्रोतों की कमी, कार्यान्वयन एजेंसियों की तकनीकी क्षमता का अभाव, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, वैधानिक/अन्य स्वीकृतियों में देरी, भूमि उपलब्धता संबंधी समस्याएं आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन के क्रियान्वयन में देरी हो रही है।

योजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निगरानी और मदद करने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, विभिन्न स्तरों पर आयोजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र दौरे आदि शामिल हैं। पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है। जेजेएम के तहत समय-सीमा, वित्तीय प्रगति और आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalsliakti.eov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAl1ocationReleaseExuendittire.aspx

*****